तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 141/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/248) बअनवान भंवराराम बनाम मिसाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

भंवराराम

बनाम

मिसाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 14

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.03.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 186/2021 अनवान मिसाराम बनाम रुपाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 16 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार-काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का युक्तयुक्त अवसर दिये बिना एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। विधि का सुस्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

	सिद्धान्त है कि जहाँ स्वामित्व का झगड़ा हो एवं साक्ष्य के जरिये प्रश्नों का निर्धारण होना हो, वहाँ सम्पति के मूल स्वरूप का संरक्षण किया जाना चाहिये। रेस्पोडेंट संख्या एक अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सभी पक्षकारान् मौके पर अपने-अपने हिस्से की भूमि में काश्त करते है। ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अपनी सहखातेदारी भूमि के उपयोग -उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 मई 2024 को अपास्त फरमाया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1550 रकबा 66.06 बीघा, खसरा नं. 1544 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 1545 रकबा 16.01 बीघा ग्राम चौथपुरा में रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या तीन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पक्षकारान् मौके पर अपने-अपने कब्जे अनुसार काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश	

राजस्व अ... ...धकारा
जाधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 141/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/248) बअनवान भंवराराम बनाम मिसाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया है। विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

बिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 मई 2024 को निरस्त किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर